

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या: 14/2024

इस हुकम की तालिलमें जारी हुए

22.11.2024

पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल मोहम्मद रमीज खान उर्फ बाबू पुत्र मोहम्मद हुसैन, जाति- मुसलमान, निवासी- बडा भीलवाडा, सिरौही, पुलिस थाना कोतवाली सिरौही, जिला- सिरौही उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री महेश रावल उपस्थित। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल के वकील की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगारसे में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल आले दर्जे का जुआंरी प्रवृति का है जो आम लोगों को जुआं खेलने के लिये प्रेरित कर जुआं खेलाता है। गैरसायल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के बाद भी उक्त अपराध पर रोक नहीं लग पाई है। गैरसायल के जुआं खेलने व खेलाना से आम जन, बच्चों पर दुष्प्रभाव की शिकायत समय समय पर मिलती रहती है तथा गैरसायल के विरुद्ध कोई व्यक्ति साक्ष्य देने हेतु तैयार नहीं होता है। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना, कोतवाली सिरौही में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश, 1949 की धारा 13 के तहत 03 मुकदमें दर्ज हुये, जिनमें गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया है। गैरसायल गुण्डा प्रवृति का व्यक्ति है। अतः लोकहित में गैरसायल को छः माह की अवधि के लिये सिरौही जिले से निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल ने गैरसायल के विरुद्ध दर्ज धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के मुकदमों में ट्रायल से बचने के लिये लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करने के कारण गैरसायल को न्यायालय ने दोष सिद्ध ठहराया है। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 27.6.2024 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। गैरसायल ने कभी शांतिभंग नहीं की है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है जो मजदूरी का काम कर अपना गुजारा कर रहा है। गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। गैरसायल ने कभी भी शांति भंग नहीं की है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे।

हमने सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल मोहम्मद रमीज खान उर्फ बाबू पुत्र मोहम्मद हुसैन, जाति- मुसलमान, निवासी- बडा भीलवाडा, सिरौही, पुलिस थाना कोतवाली सिरौही, जिला- सिरौही के विरुद्ध पुलिस थाना, कोतवाली सिरौही में धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत अपराध संख्या 12 दिनांक 12.1.2024, 49 दिनांक 06.3.2024 व अपराध संख्या 143 दिनांक 27.6.2024 को दर्ज हुये। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट अनुसार उक्त तीनों मुकदमों में गैरसायल के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें में संबंधित न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज उक्त अपराध संख्या 12 दिनांक 12.1.2024 व 143 दिनांक 27.6.2024 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां व इनमें प्रस्तुत आरोप

लगातार

मातृ जिला बाधरदु

सिरौही-307001.



तारिख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या: 14/2024

नम्बर व
तारिख
अहकाम जो
इस हुकम
की तागिलगें
जारी हुए

पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त अपराध संख्या 12 दिनांक 12.1.2024 व अपराध संख्या 143 दिनांक 27.6.2024 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 13.2.2024 व 23.7.2024 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरौही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है। गैरसायल जुआं खेलता एवं आम जन को जुआं खेलाता है, जिससे आमजन एवं बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गैरसायल गुण्डा प्रवृत्ति का व्यक्ति है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरौही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुए गैरसायल मोहम्मद रमीज खान उर्फ बाबू पुत्र मोहम्मद हुसैन, जाति—मुसलमान, निवासी— बड़ा भीलवाडा, सिरौही, पुलिस थाना कोतवाली सिरौही, जिला— सिरौही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 22.11.2024 से 21.12.2024 तक की अवधि के लिये तहसील क्षेत्र, सिरौही से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के तहसील क्षेत्र, सिरौही की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नहीं करेगा। गैरसायल किसी प्रकार के मादक पदार्थ अपने कब्जे में नहीं रखेगा। गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, मेला, हाट बाजार, सिनेमाघार, सार्वजनिक पार्क आदि के आस-पास अपनी उपस्थिति नहीं देगा। गैरसायल इस निष्कासन अवधि में दिनांक 02.12.2024 तथा 15.12.2024 को पुलिस थाना, शिवगंज में अपनी उपस्थिति देगा। थानाधिकारी, पुलिस थाना, शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि उक्त दोनों तारीख में गैरसायल की उपस्थिति दर्ज कर इसकी सूचना थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली सिरौही को प्रेषित करेंगे। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तों का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा एवं इसी कदर राशि रुपये 50,000/- (अक्षरे रुपये पचास हजार मात्र) का प्रतिभू/जमानत पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र एवं प्रतिभू/जमानत पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली सिरौही / शिवगंज को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

वति. जित्त पविस्तु
सिरौही-307091.

